रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 06, 2019/कार्तिक 15, 1941
No. 648] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 06, 2019/KARTIKA 15, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 825(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 1 सितंबर, 2019 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट II में, --

(1) प्ररुप सं. 3कग, 3कघ, 8, 10गगख, 10गगखक, 10 गगखख, 10गगखखक, 10गगखग, 10गगखघ, 12ख, 13, 27क, 27ख और 34च में शब्दों और अक्षरों "स्थायी खाता संख्यांक" जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(2) प्ररुप सं. 3गक, 3गख, 3गड.क, 3गड.घक, 3गड.च, 3गड.चक, 3गड.चख, 3गचक, 3गछ, 5ख, 10चख, 10चग, 12खख, 15गग, 26कध, 26थकक, 31, 33, 34ग, 34घक, 34ड. और 52क, में शब्दों "स्थायी खाता संख्यांक" जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(3) प्ररुप सं. 3गघ, 3गछ, 26थख, 26थग, 30क, 45घ और 49ख में शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों "स्थायी खाता संख्यांक (पैन)" जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(4) प्ररुप सं. 3गड.छ, 3गड.ज, 3गड.झ, 3गज, 10गगख, 10गगखक, 10गगखख, 10गगखखक, 10गगखग, 10गगखघ, 10चक, 12खक, 15गक 15गग, 15छ, 15ज, 16, 16क, 16ख, 16ग, 26क, 26कध,27खक, 27ग,

28घ, 29ग, 30ग, 34ख, 34खक, 35, 36, 36क, 64, 64क, 64घ, और 68 में शब्दों "स्थायी खाता संख्यांक" जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(5) प्ररुप सं. 10गगघ, 10गगड. और 56चच में शब्दों "स्थायी खाता संख्यांक" जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(6) प्ररुप सं. 26 थ, 27ड.थ और 27थ में, --

(क) शब्द, कोष्ठक और अक्षर "स्थायी खाता संख्यांक" जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(7) प्ररूप सं. 10खक, 56च, 56छ और 56ज में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं, "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(8) प्ररूप सं. 58ख, में शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(9) प्ररुप सं.64ख और 64ग के मद 3 में, शब्दों "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(10) प्ररुप सं. 3गड. में, --

(क) शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपाबंध के भाग क के मद 3 में शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(11) प्ररुप सं.3गड.क और 3गड.कक में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(12) प्ररुप सं. 3गड.ख में, --

(क) शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपाबंध के भाग क के मद 3 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(13) प्ररुप सं. 3गड.ग के मद 1 के उपमद (ख) में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(14) प्ररुप सं. 3गड.ञ में,--

(क) शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) 'उपाबंध के प्ररुप सं. 3गड.ञ' के मद 3 में शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(15) प्ररुप सं. 3गच-I के मद 12 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(16) प्ररुप सं. 3गच-II और 3गच III के मद 11 में शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(17) प्ररुप सं. 3गज के मद 5 में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "स्थायी खाता संख्यांक (पैन)" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(18) प्ररुप सं. 10गगच में, —

(क) शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपाबंध क के मद 3 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(19) प्ररुप सं. 10घक में, --

(क) शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपाबंध क के मद 3 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(20) प्ररुप सं. 10ड. में शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(21) प्ररुप सं. 10च में, --

(क) शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) शब्द, कोष्ठक और अक्षर "स्थायी खाता संख्यांक (पैन)" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(22) प्ररुप सं. 13 में, --

(क) मद 2 के उपमद (3) में, शब्द और अक्षर "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपाबंध । और उपाबंध ।।। में शब्द, कोष्ठक और अक्षर "स्थायी खाता संख्यांक(पैन)" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(23) प्ररुप सं. 24थ में, --

(क) शब्द, कोष्ठक और अक्षर "स्थायी खाता संख्यांक (पैन)" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(24) प्ररुप सं. 26थक में, --

(क) मद 1 में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "स्थायी खाता संख्यांक (पैन)" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद 3 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(25) प्ररुप सं. 29ग में

(क) मद 1 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपाबंध क के मद 3 में शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(26) प्ररुप सं. 30ग के मद 6 में, --

(क) शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अंक और अक्षर "139 क" के पश्चात् शब्द "या आधार संख्यांक" अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(27) प्ररुप सं. 34 घ में, मद 4 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(28) प्ररुप सं. 34ड.क में, -

(क) मद 8 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद 9 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(29) प्ररुप सं. 49ग में, -

(क) मद 4 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद 18 और मद 21 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(30) प्ररुप सं. 49घ में, --

(क) शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद 7 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(31) प्ररुप सं. 64ड. के मद 6 और मद 9 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(32) प्ररुप 67 में,

(क) मद 2 में, शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) 'सत्यापन' शीर्ष के अधीन शब्द "स्थायी खाता संख्यांक" के स्थान पर "स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

[अधिसूचना सं. 95/2019/फा.सं.370142/15/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापक – यह प्रमाणित किया जाता है कि इन संशोधन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है ।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 701(अ), तारीख 30th सितम्बर, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए थे ।